# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या : 03/2019**

**अपीलांट**

1. शंकर पुत्र भंवरूजी
2. धन्नाराम पुत्र खाजुराम के कायम मुकाम

   1/1 बगदाराम पुत्र धन्नाराम

   1/2 ढगलाराम पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट**

1. दीनाराम पुत्र तुलछाराम
2. धर्माराम पुत्र चौथाराम
3. भींयाराम पुत्र चौथाराम
4. करमाराम पुत्र चौथाराम
5. मोहनलाल पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।
6. तहसीलदार जी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली ।

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

श्री जगदीश सोंलकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री मोहम्मद शरीफ काजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

श्री श्याम सिंह सोलंकी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 12.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2482/2015 बउनवान दीनाराम बनाम धर्माराम वगैरा में पारित आदेष दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

**03/2019**

**शंकर बनाम दीना वगैरह**

**पेज संख्या 2/7**

सर्वप्रथम वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित 151 सी.पी.सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.06.2015 को खसरा नंबर 624 व 625 में कोई निर्माण नहीं है। खसरा नंबर 624 के खातेदार ने कार्यवाही चलने के दौरान निर्माण हेतु आमादा रहने पर दिनांक 25.04.2017 को आवश्यक सुनवाई बाबत आवेदन पेश किया। जिसकी रिपोर्ट 26.04.2017 है। जिसमें नीवें खोदना दर्शाई है। दिनांक 15.02.2019 को अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली से स्थगन प्राप्त के बाद खसरा नंबर 625 के निर्माण करने की कोशिश की। इस पर दिनांक 23.02.2019 को अपीलांट को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया, परन्तु इसके बाद निर्माण किया। जो मौका रिपोर्ट 25.02.2019 से स्पष्ट है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात अपील के निस्तारण के लिये आवश्यक है। निर्णय के बाद रास्ता तरमीम किया है व मोका रिपोर्ट भी आई है। इस कारण से अतिरिक्त साक्ष्य के रूप मे उक्त दस्तावेजो को रेकर्ड पर लेने से अपीलांट को कोई क्षति नहीं होगी। अत उपरोक्त वर्णित मय फहरिस्त दस्तावेज रेकर्ड पर लेने का आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र व दौराने अपील किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट दीनाराम से मिलकर तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में मनमर्जी से तैयार करवाये दस्तावेजो को रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने हस्तगत प्रकरण में अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के साथ मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2019 मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2015 मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2018 इसके अतिरिक्त प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेज सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी से संबधित है। एवं उक्त समस्त दस्तावेजो से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश एवं हस्तगत प्रकरण के समय अस्तित्व में आये है। जिससे उक्त दस्तावेजो को हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट पेशे से बाहर रहते है इस कारण से वकील से संपर्क नहीं हो सका। दिनांक 14.02.2019 को जैतारण आकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपने वकील साहब से मिलने पर ज्ञात हुआ आपके स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो गया तब अपीलांट ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 14.02.2019 को सर्वप्रथम नकल मिलने पर सर्वप्रथम जैर अपील आदेश का ज्ञान हुआ। जिसके पश्चात नकल प्राप्ति दिनांक 14.02.2019 से उक्त अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 24.09.2018 से 14.02.2019 तक के समय की समयावधि को क्षमा कर अपील म्याद शुमार की जावे। उसके पश्चात अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में आने जाने हेतु खसरा नंबर 624 व 625 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेष पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का से दिनांक 26.06.2015 में पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि खसरा नंबर 624 व 625 के मध्य पाला लगाकर तारबंदी की हुई है तथा वादी/प्रार्थी की भूमि खसरा न्बर 627 में जाने के लिए खसरा नंबर 624 व 625 में से कोई रास्ता नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का मकान एवं बाडे आदि आये हुये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिर्पोट दिनांक 05.01.2018 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2018 को सुनवाई करते हुए तहसीलदार जैतारण को वादग्रस्त आराजी को मौका देखने की तारीख नियत कर दोनो पक्षो को सूचित करते हुये दोनो पक्षो के रूबरू वस्तुस्थिति का मौका देखकर धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की शर्तो का पालन करते हुए तीनो बिन्दुओ पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी से रिर्पोट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिर्पोट दिनांक 05.01.2018 को सही मानकर जैर अपील आदेष पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने समय समय पर तहसीलदार से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तारीख नियत कर मौका रिर्पोट मंगवाई किन्तु प्रकरण में केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से मौका रिर्पोट समय समय पर अलग अलग स्थिति की बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जबकि प्रार्थना पत्र 251 ए के लिए मौका रिर्पोट गिरदावर या तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने का प्रावधान है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काष्त की पुश्तैनी आराजी है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जिस जगह रास्ता बताता है जिस जगह पर पक्का निर्माण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार–बार मौका रिर्पोट मंगवाई जाने के पष्चात दिनांक 05.01.2018 पर आपति पेश की, जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुन मोका रिर्पोट मंगवाई गई व मौका रिपोर्ट में स्पष्ट पक्का निर्माण का इन्द्राज होते हुए भी व मौका रिर्पोट में एक–दूसरी रिपोर्ट विपरित होते हुए भी दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 06 का देहान्त दिनांक 07.01.2017 को चुका है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दीनाराम का कानूनी रूप से कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2018 को बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता श्री चुतराराम ने 12.09.2018 की आदेशिका पर निर्णय दिनांक 24.09.2018 के लिए अपने हस्ताक्षर किया। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता श्री चुतराराम के जूनियर (दामाद) ने पेश की है। जिससे अपीलांट के अधिवक्ता को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी, किन्तु जानबूझकर अधिवक्ता ने लापरवाही की। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 म्याद परिसीमा अधिनियम मे उक्त देरी का यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके पश्चात अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में आने जाने हेतु खसरा नंबर 624 व 625 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र खसरा नंबर 625 व 624 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिसमे खसरा नंबर 625 अपीलांट षंकर एवं खसरा नंबर 624 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनो खसरान की भूमि में रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है। जबकि हाजा न्यायालय के समक्ष केवल मात्र खसरा नंबर 625 के खातेदार ने अपील प्रस्तुत की है। खसरा नंबर 624 के खातेदारो ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। जिससे दिनांक 24.09.2018 का आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 के विरूद्ध अंतिम हो चुका है। अपीलांट उक्त खातेदारो की पैरवी नहीं कर सकता है एवं न ही उक्त रेस्पोडेन्ट के लिये अपीलांट को कोई अनुतोष मांगने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज होने के पश्चात दिनांक 26.06.2015 को वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें खसरा नंबर 624 व 625 में कोई निर्माण नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 ने रास्ते की भूमि पर निर्माण किया जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 से स्पष्ट है। खसरा नंबर 625 यानि अपीलांट ने जैर अपील आदेश के पष्चात हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 24.02.2019 व इसके बाद निर्माण किया गया। जबकि उक्त दिनांक को हाजा न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी था। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 में अपीलांट को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया। परन्तु अपीलांट ने जैर अपील आदेश एवं हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होते हुये भी वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य जारी रखा। जो कि अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय की कार्यवाही को निष्फल करने का कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को अपीलांट के अधिवक्ता ने अवैध व कानून सम्मत नहीं होने का कोई उज्र नहीं लिया एवं न ही रिपोर्ट के खंडन में अभिवचन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिये, एवं न ही अपील मीमो में इस संबध में कोई उज्र लिया है। हस्तगत प्रकरण की अंतिम बहस में उक्त बिन्दुओ को उठाने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपनी वादग्रस्त आराजी पर आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रकम भी जमा करवा दी गई है। एवं जहा तक अप्रार्थी संख्या 06 के देहान्त होने व कायम मुकाम रेकर्ड पर नहीं लाने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के अधिवक्ता चुतराराम जी थे। जो अपीलांट अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 10ए के तहत अधिवक्ता श्री चुतराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम बहस भी श्री चुतराराम द्वारा ही की गई। अपीलांट के स्वंय के अधिवक्ता द्वारा रखे गये लेकूना का उज्र हाजा न्यायालय के समक्ष उठाने को अधिकार अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित होने से प्रकरण का निस्तारण गुणवागुण पर पारित किया जाना उचित समझते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है। अब जहां तक प्रकरण का गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने हेतु खसरा नंबर 624 व 625 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न समस्त मौका रिपोर्ट में यह अंकन में है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 627 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 624 व 625 में से रास्ता चाहा। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 624 के खातेदारो ने हाजा न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। जिससे उक्त पक्षकारान के विरूद्ध जैर अपील आदेश अंतिम हो चुका है। अब जहां तक खसरा नंबर 625 का प्रश्न है तो उक्त खसरा अपीलांट की खातेदारी आराजी है वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 26.04.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि "वर्तमान में खसरा नंबर 627 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा वर्तमान में खसरा नंबर 627 में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। तथा खसरा नंबर 624 के खातेदारो द्वारा खसरा नंबर 625 व 624 की माठ से चिपते हुए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मौके पर खसरा नंबर 624 के खातेदारो ने खसरा नंबर 625 की माठ के पास नीवें खोदी हुई है" इसके अतिरिक्त फर्द मौका दिनांक 25.02.2019 के अनुसार "हल्का पटवारी आनंदपुरा कालू प्रथम द्वारा दिनांक 23.02.2019 को पुलिस थाना आ. कालू के प्रतिनिधि व मौतबिरान के रूबरू खसरा नंबर 625 के खातेदार शंकर वल्द भंवरू वगैरह को खसरा नंबर 625/1 रकबा 0.02 बीघा सार्वजनिक रास्ता भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नही करने हेतु पाबंद किया गया था। साथ ही श्रीमान तहसीलदार सा. जैतारण द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण दिनांक 24.02.2019 के दौरान श्री माननीय न्यायालयों के आदेशो की पालना में खसरा नंबर 625/1, 624/1 की रास्ता भूमि पर किसी प्रकार के अवरोध या कच्चा/पक्का निर्माण न करने की हिदायत दिये जाने के बावजूद खसरा नंबर 625 के खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 625/1 की भूमि पर आंशिक निर्माण कर दिया गया है।" का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 625 के खातेदारो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते एवं हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त आराजी पर निर्माण किया है। जो कि न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। एवं जहा तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2482/2015 बउनवान दीनाराम बनाम धर्माराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली